राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1125/2011

परशुराम राय –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा।
3. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.08.2011
आदेश की दिनांक : 06.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील में अपीलार्थी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कॉटन काम्प्लेक्स, श्रीगंगानगर में रिंग साइडर के पद पर हुई। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने आदेश दिनांक 02.10.2010 (अनुलग्नक–1) के द्वारा विभिन्न विभागों/निगम/बोर्ड इत्यादि से सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों को पंचायतीराज संस्थाओं में समायोजित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.10.2020 के क्रम में दिनांक 20.10.2010 (अनुलग्नक–2) को जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्राम सेवकों को समायोजित करने के संबंध में निर्णय लिए गए तथा सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति पद पदस्थापित नियमित कर्मचारी जो पंचायतीराज संस्थाओं में पदस्थापित है एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में शिथिलन (सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण) के पश्चात् जिनके मूल पद की वेतन श्रृंखला ग्रामसेवक की वेतन श्रृंखला से कम है, ऐसे 111 कर्मचारियों को पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ग्रामसेवक के पद की वेतन श्रृंखला में समायोजित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा पत्र दिनांक 01.11.2010 (अनुलग्नक–4) जिला भीलवाड़ा के समस्त बीडीओ को विभिन्न विभागों/निगम/बोर्ड इत्यादि से सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत

प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों को पंचायतीराज संस्थाओं में समायोजित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा की गई कार्यवाही को अवगत करवाने हेतु पत्र लिखा गया। प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 21.12.2020 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवक पद पर दिनांक 21.10.2003 से समायोजित किया गया। उसकी छठें वेतन आयोग के तहत वेतन श्रृंखला नियत की गई तथा उसके आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा पत्र दिनांक 14.07.2011 (अनुलग्नक–7) द्वारा विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि वेतन श्रृंखला में कार्यरत कर्मचारियों को ही ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से समायोजित किया जाने तथा जिन कर्मचारियों को कोई वेतन श्रृंखला नहीं दी जा रही है, उन्हें ग्राम सेवक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्राम सेवक के पद पर समयोजित करने के निर्देश दिये जाने पर इन 111 कर्मचारियों में से 21 ग्राम सेवकों को ही वेतन श्रृंखला दी जा रही है और शेष 90 कर्मचारियों में से 89 कर्मचारियों को ग्राम सेवक के पद पर कार्य करने से पूर्व कोई वेतन श्रृंखला नहीं दी जाने से पूर्व में ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से समयोजित किये जाने के आदेश निरस्त करते हुए अब ग्राम सेवक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के पश्चात् ही ग्राम सेवक के पद पर समायोजित किया जावेगा। जिला भीलवाड़ा के समस्त बीडीओ को ग्राम सेवक के समायोजन के संबंध में जारी किया, जिसमें यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी का वेतन निर्धारण विभागीय निर्देश दिनांक 23.05.2011 के संबंध में जांच करा उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण करावे तथा यदि पूर्व में अधिक राशि का भुगतान हो रहा हो, तो उसकी नियमानुसार वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा अशोक कुमार एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन 6401/2011 में अपीलार्थी के समान ही 9 कार्मिकों की अपील में वेतन की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी गई तथा रामदयाल एवं अन्य द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6782/2011 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2013 के अनुसार अपीलार्थी का प्रकरण समान होने के कारण निर्णित किए जाने का अनुरोध किया है।

इसके विपरीत विद्वान् राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवाएं पंचायतीराज ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर समायोजित हो गई, तद्नुसार वह पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर कार्यरत एवं पदस्थापित है। उसे विधि अनुसार सेवा संबंधित समस्त परिलाभ नियमित कर्मचारी की भांति देय है, किन्तु मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने दिनांक 14.07.2011 को पत्र जारी कर विभिन्न विभागों/नियम/बोर्ड इत्यादि से सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति पर पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में कार्यरत कार्मिकों को पंचायतीराज विभाग में कार्यग्रहण करने की तिथि से सेवा संबंधित परिलाभ देय किये जाकर यदि अधिक वेतन देय कर दिया गया हो, तो उसकी वसूली बाबत् निर्देश–आदेश जारी किये गये है, अपीलार्थी ने केवल पत्र को आधार बनाकर कोई बिना किसी बाद कारण के अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास में निरर्थक तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग में कार्यग्रहण दिनांक से ही सेवा संबंधित परिलाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपील बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए प्रस्तुत की गई है, अनुतोष विधि अनुसार अपीलार्थी प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। उक्तानुसार अपील मय कोस्ट निरस्त योग्य है, जो निरस्त फरमाई जावे।

बहस सुनी गई। उक्षय पक्ष द्वारा अपील एवं जवाब अपील में उल्लेखित अभिकथनों के अनुसार बहस की गई। उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग के परिपत्र दिनांक 02.10.2010 द्वारा विभिन्न विभागों/निगम/वोर्ड इत्यादि से सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों का पंचायतीराज संस्थाओं में समायोजित किये जाने के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 20.10.2010 में लिए गए निर्णय की अनुपालना में अपीयलार्थी को पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के पत्रांक दिनांक 21.12.2010 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 21.10.2003 से समायोजित किया गया था (अनुलग्नक–1 से 5)।

पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का छठें वेतन आयोग में वेतन श्रृंखला निर्धारित करते हुए आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई (अनुलग्नक–6)।

जिला परिषद्, भीलवाड़ा के पत्र दिनांक 14.07.2011 द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद पर कार्य करने से पूर्व कोई वेतन श्रृंखला नहीं दिए जाने से पूर्व में ग्राम सेवक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से समायोजित किए जाने के आदेश निरस्त करते हुए अब ग्राम सेवक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के पश्चात् ही ग्राम सेवक के पद पर समायोजित किया जावेगा तथा किसी ऐसे कर्मचारी जो वर्कचार्ज कर्मचारी पर नियमित नहीं हुआ है, उन्हें ग्राम सेवक के पद की वेतन श्रृंखला दे दी गई है, तो उनको पूर्व में प्राप्त निम्न वेतन

श्रृंखला में ही वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान की गई राशि निम्नानुसार वसूली किये जाने के निर्देश दिये है (अनुलग्नक–7)।

अतः उक्त निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग में दिनांक 21.10.2003 से समायोजित होने की तिथि से 10 वर्ष पश्चात् दिनांक 21.10.2013 से ग्राम सेवक के पद की वेतन श्रृंखला दिये जाने पर अपीलार्थी का वेतन दिनांक 21.10.2003 से कम होगा, जो न्याय संगत नहीं है।

संदर्भित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6401/2011 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के दिनांक 31.07.2013 में निर्णित किया गया है कि :–

18. Coming to the order dated 23.05.11 issuing guidelines/clarification on various points as contained in circular dated 02.10.10, it is to be noticed that the guidelines for the decision regarding the petitioners and their likes, the employees of inter alia the spinfed/Cotton Complex being governed by clause 5-Ga of the circuler dated 02.10.10 has been issued inasmuch as, the posts held by the petitoners and their likes with their parent employer were not carrying any pay scale. But it is not the case of the respondents that the petitoners and their likes were not the regular employees of the Spinfed/Cotton Complex. It needs to be reiterated that as per clause 2 of circular dated 02.10.10 all the regular employees posted in the panchayti Raj Institutions drawing the salary less than admissible to the post of Gram Sevak were held entitled for the regular pay scale admissble to the post of Gram Sevak and in this regard, the equivalence of the posts and already been determined by the State Government in conformity with Rule 282 read with Rule 296 of the Rules of 1996. In this view of the matter, once a decision is taken for absorption of the surplus emplyees of an institutiion, on the equated post there is absolutely no reason as to why the employees to be absorbed should not be paid the salary in the regular pay scale admissible to the post on which they are absorbed.

19. In view of the discussion above, in considered opinion of this court, the petitioners absorption shall be governed by clause 2 of the circular dated 02.10.10 issued by the State Government and not by clause 5-Ga as sought to be clarified vide order dated 23.5.11 Thus, the clarification issued vide clause 3 of order dated 23.5.11 and the resolution adopted by the Zilla Parishads, pursuant thereto, reviewing its earlier decision granting regular pay scale to the petitioners and their likes form the date of their joining the duties on

the post of Gram Sevak and deferring the benefit of regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak till they complete ten years of service on the post of Gram Sevak are not sustainable in the eyes of law.

20. There is yet another aspect of the matter. Indisputably, the petitioners were regular emplyees of the spinfed/Cotton Complex and they having been declared surplus were absorbed on the post of Gram Sevak pursuant to the decision taken by the State Government in conformity with the Rules of 1996 and the Rules of 1969 and therefore, on their absorption/appointment by transfer on the equated post of Gram Sevak in various panchyati Raj Institutions, they have to be treated regular employees and since they are discharging the duties of the post of Gram Sevak, there is absolutely no reason as to why they should be denied the payment of salary in the regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak from the date of their initial appointment ignoring the principle of equal pay for equal work.

21. In the result, the writ petitions succeed, the same are hereby allowed. The guidelines laid down by the State Government clarifying the circular dated 02.10.10, as contained in clause 3 of the order dated 23.5.11 providing for the benefits reglar pay scale admissible to the post of Gram Sevak to the surplus employees of Spinfed/Cotton Complex absorbed/appointed by transfer on the post of Gram Sevak. on completion of ten years of service in terms of clause 5-Ga of circular dated 02.10.10 instead of from the date of their joining on the post in terms of clause 2 of the said circular dated 02.10.10 is held to be illegal and quashed. Consequently the resolutions adopted by the District Establishment Committee/Zilla Parishads in Compliance of the clarification issued by the State Government as aforesaid vide order dated 23.5.11 and the orders issued pursuant thereto withdrawing the regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak, already granted to the petitioners and directing recovery of the excess amount paid are also quashed. The orders issued by the Zila Parishad/Panchayat Samitees concerned extending the benefit of regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak to the petitioners with effect form the date of their joining the duties are restored. No order as to costs.

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6782/2011 राम दयाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के दिनांक 03.09.2013 में निर्णीत किया गया है कि:–

> *"In the result, the write pettions succeed, the same are hereby allowed. The guidelines laid down by the State Government clarifying the circular dated 2.1010, as contained in clause 3 of the order dated 23.5.11 providing for the benefits regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak to the surplus employees of Spinfed/cotton Complex absorbed/appointed by transfer on the post of Gram Sevak, on completion of ten years of service in terms of clause 5-Ga of circular dated 2.10.10 instead of from the date of their joining on the post in terms of clause 2 of the said circular dated 2.10.10 is held to be illegal and quashed. Consequently the resolutions adopted by the District Establishment Committee/Zila parishad in compliance of the clarification issued by the state Government as aforesaid vide order dated 23.5.11 and the orders issued pursuant thereto, withdrawing the regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak, already granted to the petitioners and directing recovery of the excess amount paid are also quashed. The order issued by the Zila Parishad/Panchayat Samitees concerned extending the benefit of regular pay scale admissible to the post of Gram Sevak to the petitioners with effect from the date of their joining the duties are restored. No order as to costs."*

आलोच्य आदेश क्रमांक 4307 दिनांक 14.07.2011 में यह भी अंकित किया गया है कि यदि पूर्व में अधिक राशि का भुगतान हो रहा हो तो उसकी नियमानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित करावें।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह** 2015 (1) एससीसी 195 के प्रकरण में दी गई व्यवस्था के आलोक में एक परिपत्र क्रमांक एफ–9(14)एफडी/ रूल्स/2005/ पार्ट– दिनांक 17.08.2016 जारी किया, जिसके द्वारा निम्नांकित आदेश दिए गए हैं:–

> "The issue that was required to be adjudicated by the Hon'ble Supreme Court was whether all the private respondents, against whom an order of recovery (of the excess amount) has been made, should be exempted in law, from the reimbursement of the same to the employer. The Hon'ble Supreme Court while observing that it is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the

employer, in excess of their entitlement has summarized the following few situations, wherein recoveries by the employees would be impermissible in law :

(i) Recovery from employees belonging to Grade Pay upto Rs.2800/-

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

As mentioned in Para 3 (iii)of FD Circular dated 22.07.2014 the cases of extreme hardships as summarised in Para 3 for waiving of recovery of wrongful/excess payments made to Government Servants/Pensioners may be examined by Administrative Department. Thereafter concurrence of FD (G&T) be taken."

यद्यपि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय प्रत्यक्षतः तिलम् संघ/स्पिन फेड/कोटन कोम्पलैक्स श्री गंगानगर आदि के अधिशेष कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में ग्राम सेवक के पद पर समायोजित किये जाने के संबंध में है परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1370 दिनांक 23.05.2011 के संबंध में ही पारित किया गया है। जिला परिषद्, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 4307 दिनांक 14.07.2011 अपीलार्थी के प्रकरण की अपील में वर्णित अभिकथनानुसार स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित मूलभूत सिद्धान्तों एवं निर्देशों के क्रम में इस प्रकरण में भी उसी समानता के आधार पर उक्त निर्णय लागू होंगे। चूंकि विभाग द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद पर दिनांक 21.10.2003 को समायोजित किया गया है तथा लगभग 08 वर्ष की सेवा ग्राम सेवक के रूप में हो चुकी है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के निर्देशों के अनुसार जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा जारी मार्गदर्शन आदेश क्रमांक 4307 दिनांक

14.07.2011 (अनुलग्नक–7) के अनुसार पूर्व में दी गई वेतन श्रृंखला व परिलाभ कम नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार से पूर्व में निर्धारित वेतन कम किया जाना तथा आधिक्य की वसूली किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रत्यर्थीगण को प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पिटिशसन संख्या 6401/2011 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 एवं एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6782/2011 राम दयाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के दिनांक 03.09.2013 के अनुरूप कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए जाते है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2011 (अनुलग्नक–7) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि उक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में अपीलार्थी से अधिक भुगतान संबंधी वसूली नहीं की जावे।

आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)